**(सत्यप्रतिलिपि)**
**न्या–अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी, छ.ग.**
**(आदेश दिनांक 29/10/2020)**

**ज.या.क. 246/2020**

बसंत साहू, पिता गंगाराम साहू,
उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सौंगा,
थाना मगरलोड, तहसील कुरूद,
जिला धमतरी छ.ग. .....आवेदक/अभियुक्त

**–विरूद्ध–**

छ0ग0 शासन, ........................................................अनावेदक/अभियोजन

---

29-10-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 55/विविध/दो–14–01/2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विविध आदेशानुसार एवं श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी के अवकाश पर होने से यह प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/आरोपी की ओर से श्री डी.एस.मोरार, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री मोहित देवांगन, लोक अभियोजक।

प्रकरण अभिलेख/तर्क हेतु नियत है। संबंधित न्यायालय से अभिलेख प्राप्त।

आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया। आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी को थाना मगरलोड के द्वारा अपराध क्र0–144/2020, धारा–302 भा.दं.वि. के अपराध में गिरफ्तार कर जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया है। आवेदक/आरोपी पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/आरोपी जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। आवेदक/आरोपी द्वारा पेश आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदन सक्षम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है। अतः जमानत की सुविधा प्रदान किया जावे।

श्री मोहित देवांगन, लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया है कि आवेदक/आरोपी के विरूद्ध

आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति की है, अतः जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

आवेदक/आरोपी की ओर से आवेदन के समर्थन में अपने पिता गंगाराम साहू का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार आवेदक/आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। दांडिक प्रकरण क. 205/2020 शासन विरूद्ध बसंत कुमार के अनुसार प्रार्थी महेन्द्र कुमार की रिपोर्ट पर आवेदक/आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मगरलोड के द्वारा अपराध क्रमांक–144/2020, धारा–302 भा.दं.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया है। आवेदक/आरोपी पर धारा–302 भा.दं.वि. के तहत् आरोप है कि दिनांक 03.08.2020 के 22:45 बजे से दिनांक 04.08.2020 के दरम्यानि रात्रि 01:00 बजे के मध्य ग्राम सौंगा, गंगाराम साहू के घर के सामने अपनी पत्नी यशोदा बाई को घातक हथियार डंडे से मार कर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या किया गया। आवेदक/आरोपी द्वारा किया गया उक्त कृत्य गंभीर प्रकृति की है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से पेश जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 प्रकरण की उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार किया जावे।

आदेश की प्रति सहित अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस किया जावे।

*सही/–*
**(ग्रेगोरी तिर्की)**
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

**<u>प्रतिलिपि–</u>**

1. आदेश की प्रति सहित संबंधित न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।
2. लोक अभियोजक, धमतरी जिला धमतरी छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।

**{ग्रेगोरी तिर्की}**
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ0ग0)